न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
494/2018	प्रा0पत्र 136 RLRA	25.10.2018	29.03.2019

तनसुखराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी मेघसर तहसील व जिला चूरू
—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
—अप्रार्थी—

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल मण्डार प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम मेघसर तहसील चूरू का स्थाई निवासी है तथा प्रार्थी के खातेदारी के खेत ख.नं. 222/154 व 203/151 वाके रोही ग्राम श्योपुरा में स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार प्रार्थी स्वयं ही है तथा अपने खातेदारी खेत को काश्त भी प्रार्थी ही करता है। प्रार्थी के खातेदारी खेतों में से ख.नं. 203/151 में प्रार्थी का नाम तनसुखराम पुत्र चेतनराम दर्ज हो गया है और यही प्रार्थी का सही नाम है इसी नाम से प्रार्थी का पहचान पत्र बना हुआ है व इसी नाम से प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड व आधार कार्ड बना हुआ है। यह कि प्रार्थी की पहचान भी तनसुखराम पुत्र चेतनराम जाति जाट के नाम से ही प्रसिद्ध है तथा उनके समस्त कागजातों में भी तनसुखराम पुत्र चेतनराम जाति जाट के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थी का सही नाम तनसुखराम पुत्र चेतनराम ही है।

यह कि प्रार्थी के पिता की सहखातेदारी का एक खेत ख.नं. 222/154 वाके रोही गांव श्योपुरा तहसील चूरू में स्थित है। प्रार्थी के पिता चेतनराम का स्वर्गवास होने के बाद पटवारी हल्का द्वारा वारिसान के रूप में प्रार्थी का नाम ख.नं. 222/154 में तनसुखराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर निसुखराम पुत्र चेतनराम गलत दर्ज कर दिया जो अंकन गलत है क्योंकि प्रार्थी का सही नाम तनसुखराम पुत्र चेतनराम है। इस गलत अंकन से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा प्रार्थी को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। यह कि ख.नं. 222/154 की जमाबन्दी में, प्रार्थी का वास्तविक नाम तनसुखराम पुत्र चेतनराम है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से निसुखराम पुत्र चेतनराम अंकन कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है। इसलिए इस जमाबन्दी में निसुखराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर तनसुखराम पुत्र चेतनराम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कृषि भूमि ख.नं. 222/154 वाके रोही ग्राम श्योपुरा तहसील चूरू की जमाबन्दी में प्रार्थी खातेदार के नाम से बने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज निसुखराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम तनसुखराम पुत्र चेतनराम संशोधित किया जाकर जमाबन्दी को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। पैरोकार राज का काफी समय व अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम निसुखाराम अंकित है जबकि उसका दस्तावेजी व सही नाम तनसुखराम है। इसी ग्राम में खाता संख्या 26 ख.नं. 203/151 में प्रार्थी का सही नाम अंकित तनसुखराम अंकित है। निसुखाराम व तनसुखराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अतः पेश दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम सही रूप से अंकित करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज ने कथन किया कि यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। नाम शुद्ध किया जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत असर पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(राजस्थान)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम श्योपुरा के खाता संख्या 44 ख.नं. 222/154 तादादी 2.8328 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम निसुखाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी मेघसर खातेदार एवं खाता संख्या 26 ख.नं. 203/151 तादादी 1.2646 हैक्टेयर में तनसुखराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी मेघसर खातेदार अंकित है। आधार कार्ड संख्या 577397655640, मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/03/020/516262 एवं परिवार राशन कार्ड संख्या 007054400498 ग्राम मेघसर समस्त में प्रार्थी का नाम तनसुखराम पुत्र चेतनराम अंकित है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 222/154 रोही श्योपुरा में दर्ज प्रार्थी खातेदार के नाम निसुखाराम के स्थान पर अपना दस्तावेजी नाम अंकित करवाना चाहा है। पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया है तथ बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत असर पड़ने की सम्भावना नहीं है।

दस्तावेजों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के बाद दर्ज हुए विरासतन नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम निसुखाराम दर्ज हो गया है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी होती है तथा उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा– आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तनसुखराम अंकित है एवं इसी ग्राम स्योपुरा के ख.नं. 203/151 में भी प्रार्थी का नाम तनसुखराम दर्ज है। इस प्रकार पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन से उक्त त्रुटि सहवन से होना प्रमाणित होती है एवं लिपिकीय भूल की श्रेणी में ही आती है जिसको सही अंकित करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा पैरोकार राज ने भी अपनी बहस में प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं बताई है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 222/154 तादादी 2.8328 हैक्टेयर रोही ग्राम स्योपुरा तहसील व जिला चूरू में दर्ज खातेदार का नाम तिसुखराम पुत्र चेतनराम के स्थान पर तनसुखराम पुत्र चेतनराम संशोधित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, चूरू तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू
चूरू